अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
पर
दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

Q 1. 'व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' क्या है?

उत्तर : व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एक अत्यंत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के योगदान/कौशल को स्वीकार करते हुए और दिव्यांगजनों को बढ़ावा देने और उन्हें सशक्त बनाने में लगे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।

प्रश्न 2. व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की 6 श्रेणियां क्या हैं?

उत्तर : व्यक्तिगत उत्कृष्टता की श्रेणी के तहत पुरस्कारों और पात्रता की श्रेणियां नीचे दी गई हैं:

i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत 40% दिव्यांगता या उससे अधिक की बेंचमार्क वाली किसी भी निर्दिष्ट दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी के पुरस्कार के लिए अपना नामांकन जमा कर सकता है: -

क) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन

ख) श्रेष्ठ दिव्यांगजन

ग) श्रेष्ठ दिव्यांगजन बाल/ बालिका (18 वर्ष की आयु तक)

ii) दिव्यांगजन ***या*** कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्यांग नहीं है, यदि वह अन्यथा पात्र है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसी भी श्रेणी के लिए अपना नामांकन प्रस्तुत कर सकता है।

क) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति - दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये कार्यरत ।

ख) सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर (पुनर्वास पेशेवर/कार्यकर्ता) – दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत।

ग) सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान / नवप्रवर्तन / उत्पाद विकास – दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में।

प्रश्न 3. क्या अवार्ड पोर्टल के माध्यम से नामांकन जमा करना आवश्यक है?

उत्तर : जी हाँ। पुरस्कार पोर्टल पर प्रस्तुत किए गए नामांकनों पर केवल पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

प्रश्न 4. क्या कोई व्यक्ति अपना नामांकन भौतिक रूप में/सॉफ्ट कॉपी में सीधे विभाग को प्रस्तुत कर सकता है?

उत्तर: जी नहीं। पुरस्कारों की किसी भी श्रेणी के लिए नामांकन केवल पुरस्कार पोर्टल पर ही प्रस्तुत किया जाना है। विभाग को सीधे भेजे गए आवेदन/नामांकन पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

प्र.5 क्या पुरस्कारों की दो या अधिक श्रेणियों के लिए नामांकन की अनुमति है?

उत्तर: पुरस्कार की उन श्रेणियों के लिए पात्र होने पर एक से अधिक श्रेणी के पुरस्कारों के लिए अलग नामांकन प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन एक वर्ष में केवल एक पुरस्कार दिया जा सकता है। दिया जाने वाला पुरस्कार राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा।

प्र. 6 कौन नामित कर सकता है?

उत्तर : नामांकन प्रक्रिया भारत के नागरिकों के लिए खुली है। स्व-नामांकन का प्रावधान है और अन्य द्वारा नामांकन का भी प्रावधान है। किसी भी मामले में किसी प्राधिकारी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 7. क्या दिव्यांगजन सभी 6 श्रेणियों के लिए पात्र है?

उत्तर : जी हां, 40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाला कोई भी व्यक्ति पात्र होने पर सभी 6 श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, दिव्यांगता रहित व्यक्ति केवल 03 श्रेणी के पुरस्कारों के लिए पात्र है जैसा कि ऊपर प्रश्न संख्या 2 (ii) के उत्तर में यथा उल्लिखित है।

प्रश्न 8. 'दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' क्या है?

उत्तर : दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने में लगे संस्थानों के लिए विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी निकायों या निजी निकायों द्वारा किए गए योगदान को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

प्रश्न 9. संस्थागत सशक्तिकरण की पुरस्कार श्रेणियां क्या हैं और उन्हें कौन नामांकित कर सकता है?

उत्तर : संस्थागत सशक्तिकरण के तहत पुरस्कार श्रेणियां निम्नलिखित हैं और इसके लिए प्रावधान है कि कौन नामांकित कर सकता है: -

क्रमांक	पुरस्कार की संस्थागत सशक्तिकरण श्रेणी	कौन नामांकित कर सकता है
i)	दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन)	या तो स्वयं नामांकन या दूसरों द्वारा नामांकन।
ii)	दिव्यांगजनों के लिये सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (सरकारी संगठन /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/निजी क्षेत्र)	-वही-
iii)	दिव्यांगजनों के लिये सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी (सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को छोड़कर)	-वही-
iv)	सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन / वाधामुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/ जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग
v)	सर्वश्रेष्ठ सुगम्य यातायात के साधन / सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (सरकारी/निजी संगठन)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित

		विभाग और निजी संगठन के मामले में इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।
vi)	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम /यूडीआईडी एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य /संघ राज्य क्षेत्र/ जिला	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग
vii)	अपने राज्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभाग
viii)	पुनर्वास पेशेवरों के विकास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ संगठन	या तो स्वयं नामांकन या दूसरों द्वारा नामांकन।

प्रश्न 10. 'क्या आपके पास आधार है ' पूछने की क्या जरूरत है?

उत्तर : यूजर की पहचान प्रमाणित करने के लिए आधार संख्या आवश्यक है। दर्ज किया गया मोबाइल नंबर आवेदक द्वारा प्रदान किए गए आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए ।

यदि व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि जैसे किसी अन्य पहचान दस्तावेज को अपलोड करके पंजीकरण किया जा सकता है।

प्रश्न 11. कोई संगठन/व्यक्ति स्वयं को कैसे पंजीकृत कर सकता है?

उत्तर : व्यक्ति:

- स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर पंजीकरण/लॉगिन बटन पर जाएं।
- 'व्यक्ति' रेडियो बटन पर क्लिक करें और नामांकित प्रकार (जैसे नागरिक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एनआरआई, विदेशी, आदि) का चयन करें।
- अपना पहला नाम, अंतिम नाम (आधार संख्या / वैध पहचान प्रमाण के अनुसार) और अन्य आवश्यक विवरण भरें, और 'सबमिट बटन' पर क्लिक करें।

संगठन:

- स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर पंजीकरण/लॉगिन बटन पर जाएं।
- 'संगठन' रेडियो बटन पर क्लिक करें।
- संगठन के प्रकार का चयन करें, संगठन का नाम, अधिकृत व्यक्ति का नाम और अन्य आवश्यक विवरण भरें और 'सबमिट बटन' पर क्लिक करें।

प्रश्न 12. मैं कैसे लॉग इन कर सकती हूँ?

उत्तर : पोर्टल के होम पेज पर, 'चल रहे पुरस्कार नामांकन (ऑनलाइन अवार्ड नोमिनेशन)' पर क्लिक करें।

- उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के 'विवरण देखें' पर क्लिक करें ।
- पुरस्कार विवरण पृष्ठ पर उपलब्ध 'अभी नामांकित करें' बटन पर क्लिक करें।
- अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें । 'साइन इन' बटन पर क्लिक करें, प्राप्त ओटीपी और कैप्चा दर्ज करें । 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

प्रश्न 13. यदि आप अपना लॉगिन आईडी भूल जाते हैं तो क्या करें?

उत्तर : लॉगिन पेज पर 'फोरगोट लॉगिन आईडी?' बटन। पर क्लिक करें। पंजीकरण के समय आपके द्वारा चुने गए पंजीकरण प्रकार का चयन करें। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और दिया गया कैप्चा दर्ज करें । पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी भेजी जाएगी।

प्रश्न 14. यदि आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या करें?

उत्तर. **क्या** लॉगिन पृष्ठ पर, 'पासवर्ड भूल गए?' बटन पर क्लिक करें, अपना लॉगिन आईडी और कैप्चा दर्ज करें। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद आप एक नया पासवर्ड बना सकेंगे।

प्रश्न 15. किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र नामांकित व्यक्ति के काम के लिए उपयुक्त है?

उत्तर. यह पुरस्कार विशिष्ट कार्य को मान्यता देने का प्रयास करता है और गतिविधियों/विषयों के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है। नामांकित व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र का चयन किया जा सकता है।

प्रश्न 16. सबफील्ड क्या है?

उत्तर. किसी दिए गए क्षेत्र के सबसेट को ही सबफील्ड के रूप में जाना जाता है।

प्रश्न 17. स्व-नामांकन क्या है?

उत्तर. स्व-नामांकन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसने पुरस्कार के लिए विचार किए जाने में रुचि दिखाई है, वह स्वयं को पंजीकृत करके पोर्टल में नामांकित कर सकता है।

प्रश्न 18. महत्वपूर्ण योगदान का क्या अर्थ है?

उत्तर. नामांकित व्यक्ति द्वारा कार्य के विशिष्ट क्षेत्र में किए गए प्रयास अनुसंधान/उत्पाद आदि का एक महत्वपूर्ण योगदान है।

प्र.19. नामांकित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव/परिणाम क्या है?

उत्तर. इसमें कार्य के क्षेत्र में प्रभाव और नामांकित व्यक्ति द्वारा किए गए सामाजिक प्रभाव शामिल हैं।

प्र.20. 'पिछला प्राप्त पुरस्कार अनुभाग' में किस प्रकार का पुरस्कार लिखा जा सकता है?

उत्तर. यह भाग नामांकित व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति द्वारा अतीत में प्राप्त पुरस्कारों के विवरण दर्ज करने की अनुमति देता है। एक भाग नामांकित व्यक्ति को अतीत में प्राप्त व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में विवरण दर्ज करने की अनुमति देता है (अर्थात विभाग द्वारा पहले दिया गया कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार)। यदि हाँ, तो विवरण प्रपत्र में दिए गए अनुभाग में प्रस्तुत किया जा सकता है। अन्य अनुभाग नामांकित व्यक्ति को अतीत में प्राप्त किसी भी अन्य पुरस्कार के लिए विवरण दर्ज करने की अनुमति देता है।

प्रश्न.21 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए पहले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के संबंध में प्रश्न का क्या उत्तर दिया जा सकता है?

उत्तर. उस श्रेणी का नाम जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, साथ ही जिस वर्ष में यह दिया गया था, उसे उत्तर देने के लिए दिए गए स्थान में लिखा जाना है।

प्रश्न.22 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 की प्राप्ति के लिए क्या उत्तर दिया जा सकता है?

उत्तर. यह प्रश्न वर्ष 2023 के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए लागू होगा, क्योंकि वर्ष 2021 के लिए लागू राष्ट्रीय पुरस्कारों के ड्रॉप डाउन बॉक्स में नाम दिए गए हैं, इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए उत्तर दिया गया है। 2021 या राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 लागू नहीं होंगे।

प्रश्न 23. क्या 'पिछला प्राप्त पुरस्कार अनुभाग' में एक से अधिक पुरस्कार जोड़े जा सकते हैं?

उत्तर. हां, नामांकित व्यक्ति द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में प्राप्त किए गए पिछले पुरस्कारों या सम्मानों की संख्या इस भाग में दर्ज की जा सकती है।

प्रश्न 24. मैं सहायक दस्तावेजों के रूप में क्या अपलोड कर सकता हूं?

उत्तर. नामांकित व्यक्ति द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में किए गए योगदान से संबंधित कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है।

प्रश्न 25. मैं दस्तावेज़ कैसे अपलोड कर सकता हूँ?

उत्तर. 'फोटोग्राफ/अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड' भाग में, दूसरे भाग 'कोई भी सहायक दस्तावेज (पीडीएफ)' 'फाइल चुनें' पर क्लिक करें अपलोड करने के लिए एक पीडीएफ फाइल चुनें (फाइल का आकार 5 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए) .

प्रश्न 26. मैं सहायक दस्तावेज़ अनुभाग में एक से अधिक दस्तावेज़ क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ?

उत्तर. 'सहायक दस्तावेज़' अनुभाग में केवल एक दस्तावेज़ को अपलोड करने की अनुमति है। हालाँकि, दस्तावेज़ में एक से अधिक पृष्ठ हो सकते हैं।

प्रश्न 27. क्या मैं अपने आवेदन का पूर्वावलोकन कर सकता हूं?

उत्तर. हां, आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने से पहले देखा जा सकता है।

प्रश्न 28. क्या मैं अपना नामांकन विवरण भरने के बाद उसे संपादित कर सकता हूं?

उत्तर. हां, नामांकन प्रक्रिया के दौरान आवेदक सूचना को कितनी भी बार संपादित कर सकता है। हालांकि, एक बार अंतिम आवेदन जमा करने के बाद, उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को संपादित/संशोधित नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 29. मेरे द्वारा स्वयं को नामांकित करने के बाद आगे क्या होता है?

उत्तर. आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग और राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा विचार के लिए उनकी सिफारिश के लिए हर साल विभाग द्वारा गठित स्क्रीनिंग समितियों के समक्ष निर्धारित समय के भीतर प्राप्त सभी नामांकन/सिफारिश प्रस्तुत की जाती हैं। राष्ट्रीय चयन समिति की सिफारिश पर ही कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय चयन समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। स्वीकृत नाम विभाग के वेब पोर्टल (www.disabilityaffairs.gov.in) पर अपलोड किए जाते हैं और साथ ही कार्यक्रम की सूचना देने वाले अनुशंसित आवेदकों को लिखित सूचना भी भेजी जाती है।

प्रश्न 30. मेरे द्वारा आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?

उत्तर. आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, एनएटीएडब्लूडी द्वारा आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा: 'आपका नामांकन नामांकन आईडी के साथ सफलतापूर्वक जमा हुआ' ।

प्रश्न 31. मैंने आवेदन पत्र जमा कर दिया है लेकिन पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है? इस मामले में क्या किया जाना चाहिए?

उत्तर. आवेदन पत्र की पुष्टि की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, कोई व्यक्ति अपने पिछले लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके फिर से लॉग इन कर सकता है और पुष्टि की स्थिति देख सकता है। साथ ही, किसी अन्य सहायता के लिए हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है।

प्रश्न 32. क्या मुझे दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करने की आवश्यकता है?

उत्तर. जी हाँ। दिव्यांगजनों से संबंधित पुरस्कारों की श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन में निर्दिष्ट किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र व दिव्यांगता के प्रतिशत का उल्लेख आवेदन में किया जाना चाहिए और आवेदन के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र के बिना दिव्यांगजनों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 33. क्या व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कारों की किसी भी श्रेणी के लिए फोटो जमा करना अनिवार्य है?

उत्तर. जी हाँ। नामांकन फॉर्म में हाई रिज़ॉल्यूशन वाले पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी जमा/अपलोड की जानी है।

प्रश्न 34. क्या उम्र, शिक्षा, उपलब्धियों, पुरस्कारों से संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाने हैं?

उत्तर. सहायक दस्तावेजों के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान में उपलब्धियों के सहायक दस्तावेज यदि कोई हों तो अपलोड किए जाने हैं।